FINANCIAL EXPRESS AUGUST 14, 2025

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075
(E-mail: hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting

This has reference to Bank's Notice published in the newspapers on 01.08.2025 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on Thursday, 4th September, 2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

- To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government as provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI's Master Directions dated 2nd August, 2019, as amended and other applicable Directives/Guidelines issued by Regulatory Authorities to fill in the vacancy caused by the resignation of a Shareholder Director of the Bank and the elected Director shall hold office from the day next to the date of election till 05.10.2026, the day on which the erstwhile Shareholder Director would have held office as a Shareholder Director.

Shareholders of the Bank are further notified that:

1. In compliance to the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with MCA General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, No. 09/2023 dated 25th September 2023, No. 10/2022 dated 28th December 2022, No. 2/2022 dated 05th May 2022 & No. 20/2020 dated 5th May 2020 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024, **the detailed Notice of the EGM containing the relevant Forms for the Election has been sent *only* through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).**
2. A copy of the detailed Notice of the EGM along with the relevant Forms is available on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively and on the website of E-voting agency, i.e., NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.
3. **As informed vide Notice dated 01.08.2025, the Specified/Cut-off Date for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating (nominating, contesting and voting) in the aforesaid Election was Friday, 8th August, 2025. The last date and time for submission of Nomination forms by the shareholders desirous of contesting the election is by 5.00 p.m. on Wednesday, 20th August, 2025.**
4. Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
5. No person shall be entitled to attend the EGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at **hosd@pnb.co.in** OR to the Scrutinizer by e-mail to **sachincs2022@gmail.com** with a copy marked to **evoting@nsdl.com** and **hosd@pnb.co.in**, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Saturday, 30th August, 2025**.
6. In compliance to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the EGM.
7. The Shareholders holding shares as on the Specified/Cut-Off Date may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Specified/Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting for the agenda item during the EGM.
8. The remote e-voting will commence from **9.00 a.m. on Monday, 1st September, 2025 and ends at 5.00 p.m. on Wednesday, 3rd September, 2025** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. The Shareholders may also cast their votes electronically during the EGM on Thursday, 4th September, 2025 upto 30 minutes post conclusion of the same.
9. Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders/ Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the aforesaid Specified/Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting in respect of the agenda item.
10. In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again during the EGM.
11. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
12. Shareholders holding shares in physical form as on the Specified/Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM.
13. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending an email at **beetalrta@gmail.com** and holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
14. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the EGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at **evoting@nsdl.com** or at telephone nos.: **022-48867000**.
15. For all the information relating to the EGM/Election, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. **www.pnbindia.in**.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
(Bikramjit Shom)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 13.08.2025

जनसत्ता 14 अगस्त, 2025

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका-110 075
(ई-मेलः hosd@pnb.co.in)

असाधारण आम बैठक की सूचना

यह दिनांक 01.08.2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बैंक की सूचना के संदर्भ में है, जो गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबन्धित है, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगेः

– राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, आरबीआई के मास्टर निर्देश दिनांक 2 अगस्त, 2019, यथासंशोधित के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंक के शेयरधारक निदेशक के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अन्य लागू निर्देश/दिशानिर्देश के अनुसार केंद्र सरकार से अतिरिक्त बैंक के शेयरशरकों के मध्य से एक निदेशक का चुनाव करना तथा निर्वाचित निदेशक द्वारा चुनाव की तिथि के अगले दिन से दिनांक 05.10.2026 तक पद ग्रहण किया जाएगा, जिस दिन शेयरधारक निदेशक के रूप में पूर्ववर्ती शेयरधारक निदेशक पद पर बने रहते।

बैंक के शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है किः

1. एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024, संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई 2022 और संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 और सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, **चुनाव के लिए प्रासंगिक प्रपत्रों वाले ईजीएम की विस्तृत सूचना उपर्युक्त परिपत्र(त्रों) के अनुसार केवल उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है, जिनके ई-मेल पते बैंक/निक्षेपागार सहभागियों (DP) के साथ पंजीकृत हैं।**
2. प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ ईजीएम की विस्तृत सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर तथा ईवोटिंग एजेंसी अर्थात एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।
3. **जैसाकि दिनांक 01.08.2025 के नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने) के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 थी। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे तक है।**
4. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
5. कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात कार्यदिवस समाप्ति या उससे पूर्व अर्थात **शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे** तक 'शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075' को संबोधित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक में या **hosd@pnb.co.in** पर ई-मेल के माध्यम से या **evoting@nsdl.com** एवं **hosd@pnb.co.in** को कॉपी में रखते हुए, **sachincs2022@gmail.com** को ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को जमा नहीं कर देता है।
6. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, यथासंशोधित, के अनुपालन में, बैंक अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन करें।
7. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि को शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों (डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित) के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही ईजीएम के दौरान एजेंडा मद के लिए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
8. रिमोट ई-वोटिंग **सोमवार, 1 सितंबर, 2025 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी तथा बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को सायं 5.00 बजे समाप्त** होगी और इस तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 को ईजीएम के दौरान, उसके समापन के 30 मिनट बाद तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपना वोट डाल सकते हैं।
9. केवल वे शेयरधारक जिनके नाम उपर्युक्त निर्दिष्ट/कट–ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, एजेंडा मद के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
10. ई-वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उन्हें ईजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी। कोई शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेयरधारक को ईजीएम के दौरान पुनः वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकल धारक माना जाएगा।
12. निर्दिष्ट/कट–ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक और/या जिन्होंने बैंक/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में निर्धारित रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें।
13. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड को **beetalrta@gmail.com** पर ई-मेल भेजकर पंजीकृत करें और शेयरधारक जो डीमेट फॉर्म में शेयर धारण कर रहे हैं एवं जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें।
14. ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी समस्या/शिकायत के मामले में या वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए, शेयरधारक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से **evoting@nsdl.com** या टेलीफोन नंबरः 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं।
15. ईजीएम/चुनाव से संबंधित सभी जानकारी के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in** को देखें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.08.2025